स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

सा. का. नि. 632 --राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी सहायक विकिरण विज्ञान, समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात -

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1):--इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली तकनीकी सहायक विकिरण विज्ञान भर्ती नियम 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान --उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमाएँ, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हता --वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक विकिरण विज्ञान	1 (एक)* (1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-द. रो.-15-560-20-700 रुपये	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण --आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है।	नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा अन्य पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य। 2. विकिरण विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) 3. एक्सरे तकनीकी के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
ऐसे एक्सरे तकनीकी से प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।	1 उप-प्रधानाचार्य—अध्यक्ष 2 आचार्य विकिरण विज्ञान—सदस्य 3 उप चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य 4 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12018/151/85—आर. आर. एम.ई. (पी.जी.)]
श्याम सुन्दर जिन्दल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July, 1987

G.S.R. 632.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group C posts of Technical Assistant in Radiology, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Group C, Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule

4 Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5 Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6 Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, the Scheduled Tribes Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Services (Pension)Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Technical Assistant in Radiology.	1* (One (1987) *Subject to variation dependent on work-load	Genera/ Central Servie. Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years according to the instructions and orders issued by the Central Government). Note:(1) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note : (2) In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	No

Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
(1) Matriculation or its equivalent from a recognised Board. (2) Degree/Diploma (2 years course) in Radiology. (3) Two years experience as X-ray Technician. Note : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotional Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
By promotion from X-Ray Technician having 5 years service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Vice Principal—Chairman 2. Professor of Radiology—Member 3. Deputy Medical Superintendent—Member 4. Chief Administrative Officer—Member	Not applicable

[No. A-12018/151/85-RR/ME(UG)]

S. S. JINDAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1987

सा. का. नि. 633 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में शहरी कुष्ठ कर्मी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी कुष्ठ कर्मी पद समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेशों द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
शहरी कुष्ठ कर्मी	1 (एक) *कार्य के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	950-20-1150-द. रो. 25-1500रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	नहीं